

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(3)राज/वाद/19पार्ट-1ए

जयपुर, दिनांक 28/8/24

:: आदेश ::

श्री त्रिलोकचंद, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 2, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.24 के क्रम में श्री त्रिलोकचंद, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 2, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा का त्याग पत्र तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।


आज्ञा से,

३०

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
- 8 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं० 2, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा।
- 9 जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा को प्रेषित कर लेख है कि अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं० 2, तिजारा के पद पर नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेश तक इनके लिंक अभियोजक को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं० 2, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा में राज्य की ओर से समुचित पैरवी करने हेतु निर्देशित करते हुये संबंधित न्यायालय व इस विभाग को अवगत करावें।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


28/08/2024
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

694507